

ग्रा.वि.- 14(पू)अर0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र राय (1218/1999),
सम्प्रति बर्खास्त।।

निबंधित

(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया)

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप पलासी प्रखंड (जिला-अररिया) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।


4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
1201.83	₹ 1646507.1000000001

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 1201.83 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(प्रदीप कुमार)
सचिव

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, it is requested that you get more than 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenge of suspension of wage paid.

[This section contains several paragraphs of text that are extremely faint and mostly illegible due to heavy scanning artifacts and low contrast. The text appears to be a continuation of the official communication.]

सिद्धार्थ तिवारी,
राष्ट्रीय विकास विभाग

Yours Sincerely,

(Name of the official)
Joint Secretary

संख्या: प्रशासनिक, विभाग
दिल्ली/04

प्रतिनिधि, श्री उप विभाग आयुक्तों को सूचना के माध्यम से

तुलाये एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten signature]
सहायक उप सचिव।

New Delhi
Dated 27 December, 2005

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified.*

सर्व सद
Sir/Madam.

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

11/11/06
1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

18
11/106
2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

जायसुल एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
द: क: म: वि: प्र: को: स:
राजधानी कक्षा

जिला का नाम:- अररिया

57

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुलीय राशि	वसुली गढ़ राशि	अवशेष राशि	
1	2 श्री बाल्मीकि प्रसाद	3	4	5	6	7	8	
1	श्री बाल्मीकि प्रसाद							
2	श्री कृष्णा चौधरी				94549.76	12953317.12	1575725.9	127957445.3
3	श्री जी०डी० दास							
पंचायत समिति/खंड का नाम:-								
क्रम सं०	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुलीय राशि	वसुली गढ़ राशि	अवशेष राशि	
1	2 श्री रवि शंकर मिश्रा (1973 /2011)	3	4	5	6	7	8	
1	श्री जफर रकीब(1973 /1999)	6290.41	4666	1624.41	2225441.7	324900	1900541.7	
2	श्री मधुसूदन आलम (1973/1999)				2484.86	3404258.2	0	3404258.2
2	श्री रत्नमतीला (1306/1999)							
3	श्री परचंडउल्लाह (2262/1999)							
3	श्री अरुण कुमार	41747.82	10581.53	31166.29	42697817.3	111971	42585846.3	
4	श्री सजय कुमार							
4	श्री शर्मा अख्तर (1905/1999)							
	श्री शशेंद्र कुमार चौधरी							
	श्री शिवानंदन प्रसाद	11067.29	9903.81	1163.48	1593967.6	108058	1485909.6	
	श्री रमेश झा							
5	श्री विजय राजन	15553.52	7704.56	7848.96	10753075.2	54440	10698635.2	
6	श्री नरपतंज	21564.56	6989.42	14575.14	19967941.8	238553	19729388.8	
7	श्री मो० शमीम अख्तर (1905/1999)							
	श्री अशोक कुमार तिवारी	7084.32	5760.39	1323.93	1813784.1	167277	1646507.1	
	श्री सुरेंद्र राय (1218/1999)							
	श्री शिवानंदन प्रसाद सिंह							
8	श्री शिवशंकर मिश्रा	52544.4	20469.36	32075.13	43942928.1	154493.9	43788434.2	
	श्री सुरेंद्र राय (2218/1999)							
	श्री राधा मोहन राम							
9	श्री सिकंदी	6068.72	3781.16	2287.56	3133957.2	416033	2717924.2	
	श्री अनिल कुमार (2352/1999)							
	Grand Total	161921.04	69856.23	94549.76	129533171.2	1575725.9	127957445.3	